जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
आम सूचना

राज्य के ग्रामीण परिवारों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी इच्छुक अकुशल मजदूर ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कुल 100 दिनों की गारंटी परिवार को इकाई मानकर एक वित्तीय वर्ष में दी जायेगी।

ग्राम सभा की भूमिका :–

1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का चयन।
2 लाभूकों के चयन में सहयोग
3 विकास कार्यो की अनुशंसा
4 एक लाख रुपये तक की योजनाओं के लेखा– जोखा की जानकारी।
5 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लेखा–जोखा की जानकारी।

पंजीयन एवं रोजगार पात्रताः–

1 एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी परिवार को दी जायेगी।

2 100 दिनों की पात्रता को परिवार के सदस्यों के बीच बाँटा जा सकता है अर्थात परिवार के एक से अधिक सदस्यों को रोजगार दिया जा सकता है । अतः परिवार की पात्रता के अध्यधीन रहते हुए परिवार के सभी वयस्क सदस्य, जो पंजीयन कराते हैं, काम / रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हें।

3 पंजीकृत होने के लिए अहर्ताएँः–

(क) स्थानीय निवासी हों।
(ख) वयस्क हों।
(ग) अकुशल श्रम मजदूरी करने के इच्छुक हों।

पंजीयन के लिए आवेदन :–

1 पंजीयन के लिए आवेदन एक सादे कागज पर स्थानीय पंचायत सेवक को दी जा सकती है जिसमें निम्नलिखत सूचनाओं का उल्लेख किया जायेगाः–

(क) अकुशल मजदूरी करने के इच्छुक परिवार के वयस्क सदस्यों का नाम एवं पता।
(ख) उम्र, लिंग, कोटि (अनु0जाति, जनजाति आदि) की जानकारियाँ।

2 छपे हुए प्रपत्र का उपयोग किया जा सकता है परन्तु इसपर बल नहीं दिया जायेगा । कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर पंजीयन के लिए मौखिक अनुरोध कर सकता है।

नोटः– छपा हुआ प्रपत्र सरकार से निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ।

जाब कार्डः–

1 पंजीकृत परिवार को पंचायत सेवक द्वारा जॉब कार्ड निर्गत किया जायेगा।

2 जांच के पश्चात आवेदक को अविलम्ब(पंजीयन के एक सप्ताह के भीतर)जॉब कार्ड उपलब्ध किया जायेगा।

3 जॉब कार्ड और उसपर लगाये जाने वाले फोटोग्राफ का खर्च सरकार वहन करेगी। निबंधन कराने वाले मजदूर को कोई खर्च नहीं देना है।

4 यदि किसी व्यक्ति को जॉब कार्ड निर्गत नहीं किये जाने से संबधित कोई शिकायत हो तो इसे प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के संज्ञान में लोयगा। ऐसे सभी शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा।

निबंधन के बाद रोजगार के लिए आवेदन करने का तरीकाः–

पंजीकृत ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पास काम/ रोजगार के लिए आवेदन समर्पित कर सकता है।

आवेदन कैसे करें (Mode of Application)

1 आवेदन एक सादे कागज में लिखित रुप से दिया जोगा जिसमें जॉब कार्ड में वर्णित पंजीयन संख्या, जिस तिथि से रोजगार की माँग की जा रही है तथा रोजगार की माँग में दिनों की सेंख्या आदि उल्लिखित की जायेगी।

2 एकल या संयुक्त आवेदन

3 एक वर्ष में विभिन्न समयावधियों में इच्छित रोजगार तथा इसके दौरान रोजगार के दिनों की सूचना के साथ एकल आवेदन दिया जा सकता है। कई आवेदक एक संयुक्त आवेदन पत्र भी दे सकते हैं।

मजदूरी का भुगतान :–

1 प्रत्येक अकुशल मजदूर को झारखण्ड ग्रमीण गांरटी के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के अध्यधीन न्यूनतम मजदूरी की घोषणा नहीं होने तक, राज्य सरकार / सक्षम प्राधिकार द्वारा कृषि श्रामिक या मिटटी कटाई के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी दर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा न्यनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत किया जाय, भुगतान किया जायेगा। कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में वर्णित दरों के अनुरुप मजदूरी भुगतेय होगी।

2 मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक, परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों से अधिक नहीं, रुप से किया जायेगा।

3 श्रमिक को मजदूरी दर का एक अंश दैनिक रुप से भुगतान किया जायेगा ताकि उससे वह अपनीं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

4 कार्यस्थल पर मजदूरी की दर को स्पष्ट रुप से दर्शाया /प्रकाशित किया जायेगा।

बेरोजगार भताः–

1 किसी इच्छुक व्यक्ति को उसके द्वारा काम के लिए आवेदन किये जाने के 15 दिनों तक या जिस तिथि से उसने रोजगार की माँग की हो, जो भी बाद में आता हो, तक रोजगार न दिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उसे बेरोजगारी भता देय होगा। प्रथम 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 तथा वितीय वर्ष के शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/2 की दर से बेरोजगार भता का भुगतान किया जायेगा।

2 बेरोजगार भता आवेदक के परिवार को सुयुक्त रुप से देय होगा। बेरोजगार भत्ता भुगतान करने का उतरदायित्व प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर होगा।

उपायुक्त,गुमला।
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
गुमला।